संख्याः 2639/औ0वि0/2001–150 उद्योग/2001
दिनांकः 15 नवम्बर, 2001

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. निदेशक उद्योग,
   उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल।
3. समस्त महाप्रबन्धक,
   जिला उद्योग केन्द्र,
   उत्तरांचल।

विषयः जनपद स्तरीय जिला उद्योग मित्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन एवं जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श एवं नये उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार जनपद स्तरीय उद्योग मित्र के गठन का निर्णय लिया गया है।

2. जिला स्तर पर उद्योग मित्र का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित हैः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	व्यापार कर विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी (नोडल अधिकारी)	सदस्य
5.	विद्युत विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

6.	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
7.	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
8.	प्रबन्धक ऋण, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
9.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
10.	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
11.	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
12.	पुलिस अधिक्षक	सदस्य
13.	अन्य आपेक्षित अधिकारी	सदस्य
14.	दो औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी विशेष सदस्य विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

3. उद्योग मित्र की बैठक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जनपदों में प्रत्येक माह तथा शेष जनपदों में दो माह में एक बार होगी।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्यः

4. जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य निम्नवत् होंगेः

1. जिला सतर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर स्वीकृतियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा समय सीमा के अनतर्गत जारी किये जाने की समीक्षा।

2. समयानतर्गत जारी न होने वाली स्वीकृतियों के सम्बन्ध में एकल मेज व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए स्वीकृतियां जारी करना एवं समयबद्ध आधार पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

3. जनपद के उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना।

4. आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर मामलों को संदर्भित करना।

5. रूग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

5. **कार्य प्रणालीः**

1. सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक अपने कार्यालय से सम्बन्धित स्वीकृतियों की सूचना इस प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे कि सभी स्वीकृतियों/पंजीकरण समय से निर्गत किये गये हैं, यदि नही तो स्पष्ट कारण अंकित करते हुए उद्योगमित्र को सूचित करेंगे।

2. प्रत्येक स्वीकृति/पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ लिस्ट भी उपलब्ध करायी जायेगी।
3. अन्य सभी विभागों के सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इस प्रमाण पत्र के साथ कि सभी कार्यवाहियां निर्धारित समय में पूर्ण कर ली गयी हैं, यदि नही तो उद्योग मित्र को स्पष्ट कारणों से अवगत कराना होगां जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्यवृत्त सचिव, औद्योगिक विकास को प्रेषित किये जायेंगे जिसकी समीक्षा औद्योगिक विकास परिषद् तथा राज्य स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा की जायेंगी।

6. कृपया उपरोक्तानुसार जनपद स्तरीय उद्योग मित्र के गठन/स्थापना हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें व शासनादेशों की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

एस0 कृष्णन्

सचिव।